"प्रेस नोट"

विभाग का नाम : गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

विषय : देहरादून हवाई अड्डे की सुरक्षा से संबंधित एरोड्रम कमेटी की बैठक के संबंध में।

अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में देहरादून हवाई अड्डे की सुरक्षा से संबंधित एरोड्रम कमेटी की बैठक दिनांक 03.11.2023 को सम्पन्न हुई, जिसके अन्तर्गत **एरोड्रम कमेटी की** दिनांक 12.06.2023 को सम्पन्न बैठक के निम्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया गयाः–

01– आपात स्थिति के दौरान एन.एस.जी. कंट्रोल रुम का चिन्हिकरण।

निदेशक विमानपत्तन ने बताया कि देहरादून हवाई अड्डे के फॉयर कंट्रोल रुम को आपात स्थिति के दौरान एन.एस.जी. द्वारा उपयोग में लाने हेतु चिन्हित किया गया है।

उप कमांडेण्ट, एन.एस.जी. द्वारा कंट्रोल रुम में कम्यूनिकेशन सुविधा एवं बी.एस.एन.एल. लैंडलाइन कनेक्शन की मांग की गयी।

तत्क्रम में अध्यक्ष महोदया ने निदेशक विमानपत्तन को अपेक्षित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

02– विमान हाइजैक की स्थिति से निपटने के दौरान एन.एस.जी. कमांडो को उतारने के लिए देहरादून हवाई अड्डे के पास हैलीपैड का चिन्हिकरण।

विमान हाइजैक की स्थिति में एन.एस.जी. कमांडो को गुप्त रुप से हवाई अड्डे पर अतिशीघ्र पहुँचना आवश्यक होता है।

आपातकालीन स्थिति में एअरपोर्ट के समीप अठूरवाला मिनी स्टेडियम को इस्तेमाल करने हेतु हैलीपैड के चिन्ह्नीकरण हेतु एन0एस0जी0 को निर्देशित किया गया कि वह एक सप्ताह के अन्दर ग्राउण्ड का निरीक्षण करते हुए निदेशक, एयरपोर्ट, देहरादून को रिपोर्ट भेजें।

03– देहरादून एटीसी को सभी हेलीपैड के साथ वी.एच.एफ. संचार से जोड़ना।

निदेशक विमानपत्तन द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में हेलीपैड पर एटीसी एवं वी.एच. एफ. संचार सुविधा उपलब्ध नहीं है। उक्त हेलीपेड पर आने जाने वाले विमान देहरादून एटीसी टॉवर से संपर्क करते हैं। जिससे देहरादून एटीसी में Conjestion हो जाता है। अतः इन हेलीपैड पर मोबाइल एटीसी प्रारम्भ करने की आवश्यकता है। उक्त हेलीपैड पर अतिरिक्त वी.एच.एफ. संचार सुविधा नीतिगत विषय, संबंधित विभाग यूकाडा का कार्य है।

यूकाडा को सहस्त्रधारा हैलीपेड पर VHF Instrument Tower को लगाने हेतु निर्देशित किया गया, ताकि चारधाम यात्रा से संबंधित हैलीकॉप्टरों की उड़ान में congestion न हो।

04– विमान अपहरण के मामले में अपहरणकर्ताओं व विमान पर नजर रखने हेतु ड्रोन का उपयोग।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि एस.डी.आर.एफ. मुख्यालय में Drone उपलब्ध है। सी.आई. एस.एफ., एस.डी.आर.एफ. एवं स्टेट पुलिस आपसी समन्वय से बैठक कर ड्रोन की संयुक्त एस.ओ.पी. तैयार करें। साथ ही ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार कर ट्रेनिग देने के लिए निर्देशित किया।

एस0पी0 (ग्रामीण), देहरादून को ड्रोन सर्विस एवं उनकी क्षमता का आंकलन करके प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने निर्देश दिये गये।

05– भाषाविदों की सूची में अन्य भाषाओं के भाषाविदों को सम्मिलित करने के संबंध मे।

निदेशक, विमानपत्तन द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि दून विश्वविद्यालय द्वारा सभी भाषाविदों की सूची उपलब्ध करा दी गयी है।

विचार–विमर्श के उपरान्त अध्यक्ष महोदया द्वारा निदेशक विमानपत्तन को निर्देशित किया गया कि भाषाविदों के संबंध में दून विश्वविद्यालय एवं श्रीनगर विश्वविद्यालय से सम्पर्क स्थापित करें।

06– हवाई अड्डे के चारो ओर के क्षेत्र में मकान/कर्मिशयल फ्लैट/दूकान इत्यादि के निमार्ण के संबंध में भा०वि०प्रा० से Height Clearance लेने की प्रक्रिया के संवंध में अवगत(aware) कराना।

हवाई अड्डे के चारो ओर के क्षेत्र के आस–पास रह रहे स्थानीय निवासियों को मकान/कमर्शियल फ्लैट/दुकानों इत्यादि के निमार्ण के लिए Height Clearance के नियमों की जानकारी होनी चाहिए जिससे वे नियमों के अनुसार ही मकान/कामर्शियल फ्लैट इत्यादि का निर्माण करें, क्योंकि अधिक ऊँचाई वाली बिल्डिंग भी हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है।

निदेशक, विमानपत्तन द्वारा अध्यक्ष महोदया को अवगत कराया गया कि इस संवंध में एम.डी.डी.ए, देहरादून एवं उप जिलाधिकारी, डोईवाला को Height Clearance की गाइडलाइंस उपलब्ध करा दी गयी है, जिसके क्रम में Height Clearance के संवंध में गाइडलांइस के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

हवाई अड्डे के चारों तरफ किसी भी तरह की ऊँची–ऊँची इमारतों एवं अन्य टावरों के निमार्ण को रोकने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून/उप जिलाधिकारी, डोईवाला को दिल्ली एवं तलिनाडु की तर्ज पर एक प्रस्ताव राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

07– विमान अपहरण आपात स्थिति के दौरान सोशल मिडिया/ लाइव मिडिया एवं प्रिंट मीडिया को पूर्णतः प्रतिबंधित करना।

अध्यक्ष महोदया द्वारा बैठक में सुझाव दिया गया कि ऐसी परिस्थितियां यदि इन्टरनेट को वन्द करने से सम्बन्धित हो तो जनपद पुलिस स्तर से की जाने वाली कार्यवाही का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा समस्त औपचारिकताएं यथाशीघ्र पूर्ण होनी चाहिए।

इसके साथ ही महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि इन्टरनेट बंद किये जाने का Format भी निदेशक, विमानपत्तन के पास हमेशा उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कि आपात्काल के दौरान उसका प्रयोग वहीं पर किया जा सके।

इस संबंध में अध्यक्ष महोदया द्वारा एस०पी०(देहात), देहरादून को उक्त कार्य को यथाशीघ्र सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

08– ऐसे यात्री, जो विमान अपहरण के दौरान मृत्यु अथवा चोटिल हो गये हो, को विमान से बाहर निकालते वक्त एयरलाईंस स्टाफ उस यात्री के पहचान चिन्ह को हाथ में टैग करके उन्हें बाहर भेजें जैसा कि यात्रियों के विवरण व पहचान चिन्ह एयरलाईन्स के पास होते हैं। इस पर अध्यक्ष महोदया द्वारा एयरलाईन्स के स्टाफ को प्रशिक्षित किये जाने हेतु निदेशक, विमानपत्तन को निर्देशित किया गया।

- विमान अपहरण की Mock Drill प्रत्येक बार एक अलग काल्पनिक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना उचित होगा एवं रात्रि के दौरान भी Mock Drill का अभ्यास किया जाय।

- NTRO (National Technical & Research Organisation) द्वारा ड्रोन सर्वे एवं उनकी क्षमता का आकलन किये जाने हेतु अध्यक्ष महोदया द्वारा आगामी मॉक ड्रिल में प्रयोग किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी सदस्यों को चर्चित विंदूओं/विषयों पर अपेक्षित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।